XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1787–तीन/05 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–7–14	इस प्रकरण में दिनांक 17–7–14 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप.नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) ।

Rev 1787 - II/05

प्रकरण क्रमांक : ~~342II~~ Rev./2005 मुरैना

श्री [illegible]
द्वारा आज दि० 21/10/05 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

21 OCT 2005

रामहेत सिंह पुत्र श्री किशाल सिंह, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पुर (पढ़ावली) तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.) ।

- प्रार्थी,

बनाम

म. प्र. शासन जरिये कलेक्टर, जिला मुरैना आदि ।

- प्रतिप्रार्थीगण,

माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में दस्तावेजों के सहित प्रकरण पुन: प्रस्तुत करने बाबत एवं Rev. आवेदन धारा 5 / इ.रा.ए.

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पुनरावलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण सुनवाई में (प्रारम्भिक) दिनांक 27.9.2005 को नियत था जिसका प्रकरण क्रमांक 342(II)/05 (रिव्यू है)

(2) यह कि, विचारण के दौरान माननीय न्यायालय में प्रार्थी को आवश्यक दस्तावेज जिन पर प्रार्थी भरोसा करता है, प्रस्तुत करने का दायित्व प्रार्थी पर डालते हुए प्रकरण उक्त समस्त पूर्तियों के लिए वापिस किया गया ।

(3) यह कि, प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में उन समस्त दस्तावेजों जिन पर प्रार्थी भरोसा करता है, सूची सहित पुन: न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

Noted 21/10/05

K.L. Rajoria Adv 21/10

[illegible] 21.10.05

क्रमश: ------ 2